

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

देहरादून: दिनांक: 28 नवम्बर, 2019

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

विषय: जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के निर्माण हेतु 900 मीटर भूमिगत सुरंग एवं 200 मी0 पुल के निर्माण हेतु 3.68 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-819/FP/UK/ROAD/40054/2019 दिनांक 25 सितम्बर, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग बाई पास द्वितीय चरण के निर्माण हेतु 900 मीटर भूमिगत सुरंग एवं 200 मी0 पुल के निर्माण हेतु 3.68 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के शासनादेश संख्या-11-246/2014-एफ0सी0, दिनांक 04 जुलाई, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged;
2. This general approval shall be valid for the area located within 100 km. aerial distance from the LAC;
3. The user agency shall submit the project proposal to the State Government in the prescribed i.e. Form-A as provided in Rules-6 of the Forest (Conservation) Rules, 2003;
4. State Government shall accord approval to the proposal duly recommended by Principal Chief Conservator of forests;
5. Forest land proposed to be diverted shall be located outside the Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972;
6. User agency shall explore all feasible alternatives to minimize use of forest land. Forest land to be used for construction/widening of the roads shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable. The concerned Divisional Forest Officer shall certify to this effect;
7. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980 shall submit monthly report to the concerned Regional Office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases. In the event of failure, the exercise of power by the State Government to grant such permission may be suspended by the Central Government for a specified period of time or till the information is submitted;
8. State Government shall realize from the user agency funds for creation of compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the area of forest land utilised for construction/ widening of the roads;
9. User agency shall be responsible for any loss to the flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures to conserve the same;

को

);

10. User agency shall pay the Net present value (NPV) of the diverted forest land at the rates stipulated by this Ministry from time to time;
11. Permission accorded by the State Government shall be subject to the monitoring by the concerned Regional Office of this Ministry;
12. Forest land utilized for construction or the road shall not be used for any purpose other than that specified in the approval. Any change in the land use without prior permission of the Central Government shall amount to the violation of Forest (Conservation) Act, 1980 Request of such changes shall be made to the Regional Office by the Nodal Officer (Forest Conservation) of the State/Union Territory;
13. State Forest Department/State Government or the concerned Regional Office, may impose from time to time any other condition in the interest of conservation, protection and/ or development of forests.
14. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.68 हे० वन भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथारांशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।
16. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
17. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
18. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन-लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन प्रक्रिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑन लाईन अपलोड करेगा जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत् स्वीकृति हेतु ऑन लाईन/हार्ड कापी राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।
19. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
20. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
22. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: 1184 (1) / X-4-19 / 1(122) / 2019, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, जनपद-रूद्रप्रयाग।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
7. कमान अधिकारी, 66-सड़क निर्माण इकाई, सीमा सड़क संगठन, गौचर, चमोली।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

जाज्ञा से,



(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।